रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 538] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 7, 2004/अग्रहायण 16, 1926
No. 538] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 7, 2004/AGRAHAYANA 16, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2004

सा.का.नि. 792(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मंजूरी आदेश सं. ए-11019/72/99 प्रशा. IV, तारीख 19 जुलाई, 2001 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और भूमि सीमा शुल्क विभाग समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 1979 और सीमा शुल्क विभाग समूह 'घ' पद भर्ती नियम 1979 को, जहां तक उनका संबंध गेस्टेटनर आपरेटर (साधारण श्रेणी), दफ्तरी, ज्येष्ठ श्रेणी माली, फराश, झाडुकश के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है अथवा जिनका लोप किया गया है केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग में गेस्टेटनर आपरेटर (साधारण श्रेणी), दफ्तरी, माली, चौकीदार, फराश, सफाईवाला के समूह 'घ' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग गेस्टेटनर आपरेटर (साधारण श्रेणी), दफ्तरी, माली, चौकीदार, फराश, सफाई वाला समूह 'घ' भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **आरंभिक गठन :** इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व दफ्तरी (ज्येष्ठ श्रेणी) और सफाई वाला के पद धारण करने वाले व्यक्तियों को इन नियमों के अधीन क्रमश: दफ्तरी और सफाई वाला के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा और उनके द्वारा की गई सेवा उनके अपने अपने पदों पर प्रोन्नति, ज्येष्ठता और सेवा के अन्य निबंधनों और सेवा शर्तों के लिए गणना में ली जाएगी।

4. **विशेष उपबंध :** जब तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अन्यथा विहित न किया जाए, प्रत्येक आयुक्तालाय का अपना पृथक काडर होगा।

5. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

6. **निर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
गेस्टेटनर आपरेटर (साधारण श्रेणी)	122* 2004 *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	2610-60-2910-65-3300-70-4000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित, शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
7	8	9	10	11
18 से 27 वर्ष के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है। **टिप्पण 1** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन	(i) मिडिल स्कूल स्तर उत्तीर्ण। (ii) साइकलोस्टाइल मशीन को चलाने में प्रवीणता।	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता : हां	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा

7
प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों को नाम भेजने के लिए कहा गया है।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
12	13	14
प्रोन्नति : फराश, चौकीदार, सफाईवाला, माली, और अन्य समूह "घ" पदों में से बशर्ते समूह "घ" कर्मचारियों द्वारा धारित पदों के वेतनमान वही हों, जो फराश, चौकीदार, सफाईवाला या माली के पद के हैं, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए : (i) फराश, चौकीदार, सफाईवाला, माली की श्रेणी में और ऐसे अन्य समूह घ पदों पर कम से कम 4 वर्ष नियमित सेवा की हो, जिनका वेतनमान फराश, चौकीदार, सफाईवाला, माली के समान हो। (ii) साइक्लोस्टाइलिंग मशीन को संभालने और प्रचालन में प्रवीणता रखता हो।	**समूह "घ" विभागीय समिति (प्रोन्नति के मामलों पर विचार करने के लिए) :—** (i) सहायक आयुक्त —अध्यक्ष (ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क के दो अधीक्षक —सदस्य (iii) आयकर अधिकारी —सदस्य **टिप्पण :** जहां संबंधित अधिकारियों में से कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य नहीं है, वहां विभाग के बाहर से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी को भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
2. दफ्तरी	4* 2004 *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	2610-60-2910-65-3300-70-4000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

12	13		14
प्रोन्नति : फराश, चौकीदार, सफाईवाला, माली, और अन्य समूह "घ" पदों में से बशर्ते समूह "घ" कर्मचारियों द्वारा धारित पदों के वेतनमान वही हों, जो फराश, चौकीदार, सफाईवाला या माली के पद के हैं, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए : (i) फराश, चौकीदार, सफाईवाला, माली की श्रेणी में और ऐसे अन्य समूह घ पदों पर कम से कम 4 वर्ष नियमित सेवा की हो, जिनका वेतनमान फराश, चौकीदार, सफाईवाला, माली के समान हो। (ii) प्राथमिक स्कूल स्तर उत्तीर्ण।	**समूह "घ" विभागीय समिति (प्रोन्नति के मामलों पर विचार करने के लिए)—** (i) सहायक आयुक्त (ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क के दो अधीक्षक (iii) आयकर अधिकारी **टिप्पण :** जहां संबंधित अधिकारियों में से कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य नहीं है वहां विभाग के बाहर से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी को भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	 —अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
3. फराश	148* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	2550-55-2600-60-3200/- रुपए	लागू नहीं होता

6	7	8	9	10
लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है। **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान	प्राथमिक स्कूल स्तर उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष

7
और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

13	14
समूह "घ" विभागीय प्रोन्नत समिति (स्थायीकरण के मामलों पर विचार करने के लिए) :— (i) सहायक आयुक्त —अध्यक्ष (ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क के दो अधीक्षक —सदस्य (iii) आयकर अधिकारी —सदस्य **टिप्पण :** जहां संबंधित अधिकारियों में से कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य नहीं है, वहां विभाग के बाहर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी को भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5
4. चौकीदार	47* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" अराजपत्रित अननुसचिवीय	2550-55-2660-60-3200/- रुपए	लागू नहीं होता

6	7	8	9	10
लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है। **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-	प्राथमिक स्तर स्कूल उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष

7
कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

13	14
समूह "घ" विभागीय प्रोन्नत समिति (स्थायीकरण के मामलों पर विचार करने के लिए) :— (i) सहायक आयुक्त —अध्यक्ष (ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क के दो अधीक्षक —सदस्य (iii) आयकर अधिकारी —सदस्य **टिप्पण :** जहां संबंधित अधिकारियों में से कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य नहीं है, वहां विभाग के बाहर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी को भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5
5. माली	125* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" अराजपत्रित अननुसचिवीय	2550-55-2660-60-3200/- रुपए	लागू नहीं होता

6	7	8	9	10
लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है। **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि	(i) प्राथमिक स्तर स्कूल उत्तीर्ण। (ii) बागवानी का पर्याप्त ज्ञान।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

	7
	वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

13	14
समूह "घ" विभागीय प्रोन्नत समिति (स्थायीकरण के मामलों पर विचार करने के लिए) :-- (i) सहायक आयुक्त —अध्यक्ष (ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क के दो अधीक्षक —सदस्य (iii) आयकर अधिकारी —सदस्य **टिप्पण :** जहां संबंधित अधिकारियों में से कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य नहीं है, वहां विभाग के बाहर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी को भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
6. सफाई वाला	304* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" अराजपत्रित अननुसचिवीय	2550-55-2660-60-3200/- रुपए	लागू नहीं होता

6	7	8	9	10
लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।	प्राथमिक स्कूल उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	दो वर्ष

7
टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

13	14
समूह ''घ'' विभागीय प्रोन्नत समिति (स्थायीकरण के मामलों पर विचार करने के लिए) :— (i) सहायक आयुक्त —अध्यक्ष (ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क के दो अधीक्षक —सदस्य (iii) आयकर अधिकारी —सदस्य टिप्पण : जहां संबंधित अधिकारियों में से कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य नहीं है, वहां विभाग के बाहर से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी को भी विभागीय प्रोन्नति समिति के सदस्य के रूप में सहयुक्त किया जाएगा।	लागू नहीं होता

[फा.सं. ए. 12018//33/2003-प्रशा.-III(बी)]

एस.के. ठाकुर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2004

G.S.R. 792(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Excise and Land Customs Department Group "D" posts Recruitment Rules, 1979, and the Customs Department Group "D" posts recruitment Rules, 1979, read with the sanction order No. A-11019/72/99-Ad.IV, dated the 19th July, 2001, issued by Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise and Customs, in so far as they relate to the posts of Gestetner Operator (Ordinary Grade), Daftry (Senior Grade), Mali, Farash, Sweeper, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group "D" posts of Gestetner Operator (Ordinary Grade), Daftry, Mali, Chowkidar, Farash, Safaiwala in the Central Excise and Customs Department, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Excise and Customs Department Gestetner Operator (Ordinary Grade) Daftry, Mali, Chowkidar, Farash, Safaiwala (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Initial Constitution.**—The persons holding the post of Daftry (Senior Grade) and Sweeper, before the commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed as Daftry and Safaiwala respectively under these rules and the services rendered by them shall be counted for promotion, seniority and other terms and conditions of service in their respective posts.

4. **Special Provision.**—Each Commissionerate shall have its own separate cadre unless otherwise prescribed by the Central Board of Excise and Customs.

5. **Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

6. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing, so exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service is admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Gestetner Operator (Ordinary Grade)	122* (2004) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group "D" non-Gazetted non-ministerial	Rs.2610-60-2910-65-3300-70-4000	Not applicable	Not applicable	Between 18-27 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government) Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahulal and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep) Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names	(i) Middle School Standard Pass (ii) Proficiency in handling Cyclostyling Machine

Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Age: No Educational Qualification: Yes	Not applicable	By promotion failing which by direct recruitment	Promotion: From amongst Farash, Chowkidar, Safaiwala, Mali and other Group 'D' posts, provided the pay scale of the posts held by Group 'D' employees is the same as that of Farash, Chowkidar, Safaiwala or Mali, subject to the following conditions:- (i) having at least four years regular service in the grade of Farash, Chowkidar, Safaiwala, Mali and other Group 'D' posts whose pay scale is same as that of Farash, Chowkidar, Safaiwala, Mali (ii) having proficiency in handling and operating Cyclostyling Machine	Group 'D' Departmental Promotion Committee (for considering cases of promotion): (i) Assistant Commissioner - **Chairman** (ii) Two Superintendents Central Excise or Customs – **Members** (iii) Income-tax Officer – **Member** Note: Where none of the officer belongs to Schedule Caste or Schedule Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also be associated as a member of the Departmental Promotion Committee	Not applicable.

3624 GI/2004-4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. Daftry	4* (2004) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group "D" non-Gazetted non-ministerial	Rs.2610-60-2910-65-3300-70-4000	Non-selection	Not applicable	Not applicable.	Not applicable

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable	Not applicable	By promotion	Promotion: From amongst Farash, Chowkidar, Safaiwala, Mali and other Group 'D' posts, provided the pay scale of the posts held by Group 'D' employees is the same as that of Farash, Chowkidar, Safaiwala or Mali, subject to the following conditions:- (i) having at least four years regular service in the grade of Farash, Chowkidar, Safaiwala, Mali and other Group 'D' posts whose pay scale is same as that of Farash, Chowkidar, Safaiwala, Mali. (ii) Primary School Standard Pass	Group 'D' Departmental Promotion Committee (for considering cases of promotion): (i) Assistant Commissioner – **Chairman** (ii) Two Superintendents Central Excise or Customs – **Members** (iii) Income-tax Officer – **Member** Note: Where none of the officer belongs to Schedule Caste or Schedule Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also be associated as a member of the Departmental Promotion Committee	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3 Farash	148* (2004) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group "D" non-Gazetted non-ministerial	Rs.2550-55-2660-60-3200	Not applicable	Not applicable	Between 18-27 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government) Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahulal and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep) Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names	Primary School Standard Pass

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4. Chowkidar	47* (2004) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group "D" non - Gazetted non-ministerial	Rs.2550-55-2660-60-3200	Not applicable	Not applicable	Between 18-27 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government) Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahulall and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep) Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names	Primary School Standard Pass

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable	2 years	By direct recruitment.	Not applicable	Group 'D' Departmental Promotion Committee (for considering cases of confirmation): (i) Assistant Commissioner – **Chairman** (ii) Two Superintendents Central Excise or Customs – **Members** (iii) Income-tax Officer – **Member** Note: Where none of the officer belongs to Schedule Caste or Schedule Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also be associated as a member of the Departmental Promotion Committee	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5. Mali	125* (2004) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group "D" non-Gazetted non-ministerial	Rs.2550-55-2660-60-3200	Not applicable	Not applicable	Between 18-27 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government) Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahulal and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep) Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names	(i) Primary School Standard Pass (ii) Adequate knowledge of gardening

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Group 'D' Departmental Promotion Committee (for considering cases of confirmation): (i) Assistant Commissioner – **Chairman** (ii) Two Superintendents Central Excise or Customs – **Members** (iii) Income-tax Officer – **Member** Note: Where none of the officer belongs to Schedule Caste or Schedule Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also be associated as a member of the Departmental Promotion Committee	Not applicable.

3624 GI/2004-5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6. Safaiwala	304* (2004) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service Group "D" non-Gazetted non-ministerial	Rs.2550-55-2660-60-3200	Not applicable	Not applicable	Between 18-27 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government) Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and (not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahulal and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep) Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names	Primary School Standard Pass

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Group 'D' Departmental Promotion Committee (for considering cases of confirmation): (i) Assistant Commissioner – **Chairman** (ii) Two Superintendents Central Excise or Customs – **Members** (iii) Income-tax Officer – **Member** Note: Where none of the officer belongs to Schedule Caste or Schedule Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also be associated as a member of the Departmental Promotion Committee	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Group 'D' Departmental Promotion Committee (for considering cases of confirmation): (i) Assistant Commissioner – **Chairman** (ii) Two Superintendents Central Excise or Customs – **Members** (iii) Income-tax Officer – **Member** Note: Where none of the officer belongs to Schedule Caste or Schedule Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also be associated as a member of the Departmental Promotion Committee	Not applicable.

[F. No. A-12018/33/2003-Ad. III(B)]

S.K. THAKUR, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.